न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निधि उड़सरिया

प्रकरण सं0 : 74/2025

दारासिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा

– **प्रार्थी**

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा।
2. सुरेश कुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी अलायला तहसील भादरा।
3. सरोज पुत्री प्रतापसिंह पत्नी सुरेश कुमार जाति जाट निवासी अलायला हाल निवासी कलाना तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. उप पंजीयक डूंगराना तहसील भादरा।

:- **अप्रार्थीगण**

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत

उपस्थिति : वकील श्री अमीत देहडू- **प्रार्थी**

वकील श्री मुन्शीराम गोस्मावी- **अप्रार्थी सं0 1 ता 3**

दिनांक : 16.12.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा अलायला के खाता सं0 180/46 के खसरा सं0 115 की 6.6520 है0, खसरा सं0 260 की 2.5670, खसरा सं0 3 की 5.236 है0, खसरा सं0 57 की 3.5160 है0 बारानी कुल खसरे 4 की 17.971 है0 बारानी वादभूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 4242/17971 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पहले प्रार्थी के दादा हरदयाल पुत्र सूणाराम के नाम थी जो विरासतन अप्रार्थी सं0 1 प्रतापसिंह के नाम परिवार का कर्ता होने के कारण दर्ज हुई थी। इस प्रकार वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 व 3 का भी जन्म से हक व अधिकार है। अप्रार्थी सं0 1 प्रतापसिंह शराबी किस्म का व्यक्ति है जो आये दिन शराब के नशे में धुत होकर घर पर लड़ाई झगड़ा करता है तथा अप्रार्थी संख्या 2 के बहकावे में आकर अप्रार्थी संख्या 2 सुरेश कुमार के नाम बिना प्रतिफल के व नूमाईसी तौर पर प्रार्थी को अपनी दादालाई कृषि भूमि के हक हिस्से से वंचित रखते हुए दिनांक 05.08.2025 को सम्पूर्ण कृषि भूमि का दान पत्र करवा दिया है, जिसकी नामान्तकरण संख्या 1232 है। अगर अप्रार्थीगण ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थी को नापूरा होने वाला नुकसान होगा अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि वह वाद भूमि के किसी जुझ को रहन, बैय या मुन्तकिल नहीं करे, नुमाइसी दान पत्र का राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम इन्तकाल दर्ज रजिस्टर नही किया जावे व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाऐ रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादभूमि में से रोही मौजा अलायला के खाता सं0 180/46 के खसरा सं0 115 की 6.6520 है0, खसरा सं0 260 की 2.5670, खसरा सं0 3 की 5.236 है0, खसरा सं0 57 की 3.5160 है0 बारानी कुल खसरे 4 की 17.971 है0 बारानी वादभूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 4242/17971 हिस्सा खातेदारी दर्ज होना स्वीकार किया है परन्तु वर्तमान में मिन अप्रार्थी ने 0.759 है0 खातेदारी अप्रार्थी सुरेशकुमार के पक्ष में दान पत्र निष्पादित करवाया जो अब सुरेशकुमार के नाम से खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि पूर्व में हरदयाल पुत्र सुणाराम की खातेदारी थी तो हरदयाल के चार पुत्रियां व चार पुत्र होने से हरदयाल के चार पुत्रों के साथ बराबर के अनुसार हक हिस्सा विरासतन प्राप्त हुआ था जो हरदयाल की चारों पुत्रियों ने अपना हक हिस्सा में से 1/4 भाग मिन अप्रार्थी के पक्ष में रिलिज करवाया था जो किसी भी प्रकार से पैत्रक खातेदारी श्रेणी में नही आता है। वादभूमि किसी भी प्रकार से पैत्रक व सहदायिकी की श्रेणी में नही आती है वादभूमि में प्रार्थी किसी भी प्रकार से सहदायिकी का गठन नही करता है तथा वादभूमि में मिन अप्रार्थी के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा नही बनता है। अप्रार्थी पर प्रार्थी ने शराबी होने के आरोप झुठे एवं मनगढन्त लगाये है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.26 11:52:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

सम्पूर्ण खातेदारी का दिनांक 05.08.2025 को सुरेशकुमार के पक्ष में गिफट करने का कथन गलत दर्ज किया है अप्रार्थी संख्या 1 ने सम्पूर्ण भूमि का दानपत्र निष्पादित नही करवाया है बल्कि महज 0.759 है0 भूमि का ही दान पत्र निष्पादित करवाया है जिसका नामान्तकरण सुरेशकुमार के नाम तस्दीक रजिस्टर हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी के नाम से 2–1/2 किला खातेदारी हुआ करती थी जो बंटवारा में प्रार्थी को दे रखी थी परन्तु रिकार्ड में अप्रार्थी की पत्नी के नाम से खातेदारी दर्ज थी तथा प्रार्थी ने अपनी घरू जरूरत के लिये उक्त अपने हिस्सा में आई भूमि को शर्मिला पत्नी जयप्रकाश को विक्रय कर दिया तथा विक्रय पत्र खरीददार के पक्ष में निष्पादित करवा दिया था जो अच्छे किस्म की भूमि थी। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने परिवार में अप्रार्थी संख्या 1 के देहान्त होने के बाद सम्पति को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद आदि ना हो इसलिये अप्रार्थी ने अपने नाम दर्ज खातेदारी में से महज तीन बीघा भूमि का दानपत्र अप्रार्थी सुरेशकुमार के पक्ष में निष्पादित करवाया है तथा प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 प्रतापसिंह के द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड दानपत्र के बारे में कोई भी दावा सिविल न्यायालय में पेश नही किया है तथा रजिस्टर्ड दस्तावेज से हस्तान्तरित सम्पति के दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय में निहित है। प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 को परेशान करने व उसके हक व अधिकार से वंचित करना चाहता है। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वाद भूमि पहले प्रार्थी के दादा हरदयाल पुत्र सूणाराम के नाम थी जो विरासतन अप्रार्थी सं0 1 प्रतापसिंह के नाम परिवार का कर्ता होने के कारण दर्ज हुई थी। इस प्रकार वाद भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद है। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 व 3 का भी जन्म से हक व अधिकार है। अप्रार्थी सं0 1 प्रतापसिंह शराबी किस्म का व्यक्ति है जो आये दिन शराब के नशे में धुत होकर घर पर लड़ाई झगड़ा करता है तथा अप्रार्थी संख्या 2 के बहकावे में आकर अप्रार्थी संख्या 2 सुरेश कुमार के नाम बिना प्रतिफल के व नूमाईसी तौर पर सायल को अपनी दादालाई कृषि भूमि के हक हिस्से से वंचित रखते हुए दिनांक 05.08.2025 को सम्पूर्ण कृषि का दान पत्र करवा दिया है, जिसकी नामान्तकरण संख्या 1232 है। अगर अप्रार्थीगण ऐसा करने में कामयाब हो जाते है तो सायल को नापूरा होने वाला नुकसान होगा अतः प्रार्थी अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है

वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि वादभूमि में से रोही मौजा अलायला के खाता सं0 180/46 के खसरा सं0 115 की 6.6520 है0, खसरा सं0 260 की 2.5670, खसरा सं0 3 की 5.236 है0, खसरा सं0 57 की 3.5160 है0 बारानी कुल खसरे 4 की 17.971 है0 बारानी वादभूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 4242/17971 हिस्सा खातेदारी दर्ज होने का कथन किया है परन्तु वर्तमान में मिन अप्रार्थी ने 0.759 है0 खातेदारी अप्रार्थी सुरेशकुमार के पक्ष में दान पत्र निष्पादित करवाया जो अब सुरेशकुमार के नाम से खातेदारी दर्ज है। उक्त वादभूमि पूर्व में हरदयाल पुत्र सुणाराम की खातेदारी थी तो हरदयाल के चार पुत्रियो को भी हरदयाल के चार पुत्रों के साथ बराबर के अनुसार हक हिस्सा विरासतन प्राप्त हुआ था जो हरदयाल की चारों पुत्रियों ने अपना हक हिस्सा में से 1/4 भाग मिन अप्रार्थी के पक्ष में रिलिज करवाया था जो किसी भी प्रकार से पैत्रक खातेदारी श्रेणी में नही आता है। वादभूमि किसी भी प्रकार से पैत्रृक व सहदायिकी की श्रेणी में नही आती है वादभूमि में प्रार्थी किसी भी प्रकार से सहदायिकी का गठन नही करता है तथा वादभूमि में मिन अप्रार्थी के जीवनकाल में कोई हक हिस्सा नही बनता है। अप्रार्थी पर प्रार्थी ने शराबी होने के आरोप झुठे एवं मनगढन्त लगाये है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 पर सम्पूर्ण खातेदारी का दिनांक 05.08.2025 को सुरेशकुमार के पक्ष में गिफट करने का कथन गलत दर्ज किया है अप्रार्थी संख्या 1 ने सम्पूर्ण भूमि का दानपत्र निष्पादित नही करवाया है बल्कि महज 0.759 है0 भूमि का ही दान पत्र निष्पादित करवाया है जिसका नामान्तकरण सुरेशकुमार के नाम तस्दीक रजिस्टर हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी के नाम से 2–1/2 किला खातेदारी हुआ करती थी जो बंटवारा में प्रार्थी को दे रखी थी परन्तु रिकार्ड में अप्रार्थी की पत्नी के नाम से खातेदारी दर्ज थी तथा प्रार्थी ने अपनी घरू जरूरत के लिये उक्त अपने हिस्सा में आई भूमि को शर्मिला पत्नी जयप्रकाश को विक्रय कर दिया तथा विक्रय पत्र खरीददार के पक्ष में निष्पादित करवा दिया था जो अच्छे किस्म की भूमि थी। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने परिवार में अप्रार्थी संख्या 1 के देहान्त होने के बाद सम्पति को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद आदि ना हो इसलिये अप्रार्थी ने अपने नाम दर्ज खातेदारी में से महज तीन बीघा भूमि का दानपत्र अप्रार्थी सुरेशकुमार के पक्ष में निष्पादित करवाया है तथा प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 प्रतापसिंह के द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड दानपत्र के बारे में कोई भी दावा सिविल न्यायालय में पेश नही किया है तथा रजिस्टर्ड दस्तावेज से हस्तान्तरित सम्पति के

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.26 11:52:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय में निहित है। प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 को परेशान करने व उसके हक व अधिकार से वंचित करना चाहता है। अतः जबाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1 **प्रथम दृष्टया मामला** :–प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजार्थ के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त है अप्रार्थी संख्या 1 वादभूमि को अपने पिता से प्राप्त होना स्वीकार करता है। अप्रार्थी सं0 1 ने स्वयं स्वीकार किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने 0.759 है0 कृषिभूमि अप्रार्थी सुरेशकुमार के पक्ष में दान पत्र निष्पादित करवाया जो अब सुरेशकुमार के नाम से खातेदारी दर्ज है तथा साथ में यह कथन भी किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी के नाम से 2–1/2 किला खातेदारी हुआ करती थी जो बंटवारा में प्रार्थी को दे रखी थी परन्तु रिकार्ड में अप्रार्थी की पत्नी के नाम से खातेदारी दर्ज थी तथा प्रार्थी ने अपनी घरु जरूरत के लिये उक्त अपने हिस्सा में आई भूमि को शर्मिला पत्नी जयप्रकाश को विक्रय कर दिया तथा विक्रय पत्र खरीददार के पक्ष में निष्पादित करवा दिया था जो अच्छे किस्म की भूमि थी। इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने परिवार में अप्रार्थी संख्या 1 के देहान्त होने के बाद सम्पति को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद आदि ना हो इसलिये अप्रार्थी ने अपने नाम दर्ज खातेदारी में से महज तीन बीघा भूमि का दानपत्र अप्रार्थी सुरेशकुमार के पक्ष में निष्पादित करवाया है। यह तथ्य अर्जीदावा में साक्ष्य आने के वाद तय होगा कि किसने व क्यों वादभूमि विक्रय की है तथा शेष वादभूमि में पक्षकार का वाद भूमि में कितना कितना हक व हिस्सा बनता है। चुंकि उपर्युक्त विवेचन शपथ पत्रों एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने प्रतापसिंह के वारिस के तौर पर खातेदारी अधिकारों का दावा किया है। विवादित भूमि रोही मोजा अलायला खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए प्रार्थी का वाद हाजा न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिये न्यायहित में व वादो की बाहुलता रोकने हेतु व सम्पति के सुरक्षा के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र न्यायोचित है। अतः प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित होना पाया जाता है।

2 **सुविधा का संतुलन** :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। चुंकि उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में साबित हो चुका है। चूंकि उक्त वादभूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 को भी अपने हक हिस्सा तक वादभूमि के उपयोग व उपभोग का अधिकार है। अतः वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्रों, दस्तावेजों तथा प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से सुविधा का संतुलन भी आंशिक तौर पर प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है चूंकि दावाधिन सम्पति में अप्रार्थी प्रतापसिंह का भी हक एवं हिस्सा है। ऐसे में अप्रार्थी प्रतापसिंह अपने हक हिस्सा की भूमि की बाबत किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा आदि प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसे में सुविधा का संतुलन प्रार्थी व अप्रार्थी प्रतापसिंह दोनों के पक्ष में साबित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षति** :– उक्त प्रार्थना पत्र के आलौक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनों प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। [illegible] भूमि में अपने हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वाद हाजा न[illegible] में विचाराधीन है। दौराने दावा अप्रार्थी सं0 1 शेष वादभूमि को रहन बै[illegible] है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। यदि कुल वादभूमि पर व्यादेश [illegible] सं0 1 अपने हक हिस्सा तक वादभूमि के उपयोग व उपभोग संबंधि अधिकारों से वंचित रह सकता है। अप्रार्थी प्रतापसिंह यदि सम्पूर्ण भूमि की बाबत रहन, बैय के लिए पाबन्द [illegible] दिया जाता है तो प्रतापसिंह अपने हक व हिस्से की वादभूमि के खातेदारी अधिकारो के उपयोग–उपभोग से वंचित हो जायेगा। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दू आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में साबित होना पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.26 11:52:14 IST
Reason: Self Attested

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में प्रथम बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित होने के कारण तथा द्वितीय व तृतीय बिन्दु सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में साबित होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भाबरा

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है और अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय की पारित किया जाता है कि रोही मोजा अलायला के खाता सं0 180/46 के खसरा सं0 115 की 6.6520 है0, खसरा सं0 260 की 2.5670, खसरा सं0 3 की 5.236 है0, खसरा सं0 57 की 3.5160 है0 बारानी कुल खसरे 4 की 17.971 है0 बारानी वादभूमि में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 4242/17971 हिस्सा में शेष वादभूमि में अप्रार्थी सं0 1 प्रतापसिंह को ताफैसला वाद पावन्द किया जाता है कि वह उपरोक्त वादभूमि में विधि अनुसार अपने हक व हिस्से से अधिक भूमि को बैय न करे तथा अप्रार्थी प्रतापसिंह वादभूमि में किसान क्रेडिट कार्ड आदि बनवाकर रहन करवाने की हद तक स्वतंत्र रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Nidhi

(निधि उडसरिया) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक भादरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Nidhi Udsaria
Date: 2025.12.26 11:52:14 IST
Reason: SelfAttested